


80 गा/निग/रीवा/प्र०/2017/3417

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल ग्वालियर लिंक कोर्ट रीवा जिला
रीवा (म०प्र०)



शकुन्तला देवी पुत्री जोखूलाल कुशवाहा निवासी ग्राम टिकुरी 37 तह०
मनगवां जिला रीवा म०प्र० — आवेदिका/निग०कर्ता

बनाम

बेलाकली पत्नी स्व० भुअर काछी निवासी ग्राम टिकुरी 37 तह० मनगवां
जिला रीवा म०प्र० — अनावेदिका/गैरनिगरानीकर्ता

आवेदिका शकुन्तला देवी
द्वारा पेशा/ 21-9-17

कलर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म० प्र० ग्वालियर
(सिस्टम कोर्ट) रीवा

निगरानी विरुद्ध आदेश न्यायालय श्रीमान
तहसीलदार महोदय तह० मनगवां जिला
रीवा म०प्र० द्वारा पारित प्र०क० 12ए 70/
16-17 आदेश दिनांक 23/08/17
स्थगन आदेश निरस्त करने बाबत।

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म०प्र०
भू-राजस्व संहिता ।

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्नलिखित है:-

1- यह कि विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में पारित संदर्भित
आदेश में कार्यवाही न कर विधि एवं प्रक्रिया के विपरीत स्थगन
समाप्त करने की भूल करने से निरस्त योग्य है।

2- यह कि आवेदिका /निगरानीकर्ता द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के
समक्ष खाता बिभाजन सम्बन्धी वाद दायर किया था जिनका ग्राम
टिकुरी स्थित भूमि ख०नं० व रकवा कमशः 699 रकवा 0.28 ए०,
700 रकवा 0.60 ए०, 703 रकवा 0.05 ए०, 704 रकवा 0.04 ए०,


राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक III (किग.रीन/१२.१.२०१७/३५१७

जिला- रीवा

पक्षकार का नाम - शकुन्तला देवी-बेलाकली

(1)	(2)	(3)
27.12.17	<p>प्रकरण प्रस्तुत ।</p> <p>2-आवेदक तथा आवेदक अधिवक्ता की पुकार कराई गई किन्तु कोई उपस्थित नहीं। अतः संहिता की धारा 35 (2) के तहत प्रकरण आदम पैरवी में खारिज किया जाता है।</p> <p>3- आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भेजी जावे। तत्पश्चात प्रकरण पंजी से समाप्त होकर अभिलेखागार में संचय हेतु भेजा जावे।</p> <p style="text-align: right;"> सदस्य</p>	